Government of Rajasthan
Transport Department

F.10 (614) Pari/R.S./TMC/2016/ 31953 **Jaipur, date : 21/3/17**

Rajasthan State Road Safety Policy

In compliance of directions of Hon'ble Supreme Court Committee on Road Safety and decision taken in the State Level Transport Management Committee, the State Cabinet vide its order no D.146/Cabinet/2016 dated 07.12.2016 approved State Road Safety Policy. The State Road Safety Policy outlines the policy initiatives to be framed/taken by the Government at all levels to improve the road safety activities in the state. The State Road Safety Policy is as under :-

1. Preamble

The growing number of road accidents and resultant injuries and fatalities is a matter of serious concern. Road accidents are mainly man made unfortunate mishaps causing immeasurable social and economic loss to the society. In recent years road accidents have become a major contributor of accidental deaths by un-natural causes. The Government of Rajasthan is deeply concerned of safety situation within the state and through this road safety policy framed on the lines of National Road Safety Policy, states its firm commitment to reduce the road accident fatalities in the state by 50% of the base line figure of 2015, by 2020. This will require well-co-ordinated, dedicated and concerted efforts from all stakeholder departments and other agencies.

2. Policy Statement

To fulfil the objective of reducing mortality and morbidity due to road accidents, the Government of Rajasthan is committed to take the following measures: -

(i) Strengthening Institutional & Legal Environment

The Government will take steps to ensure that the required Institutional & Legal Environment for Road Safety is further strengthened and a mechanism for effective coordination for various stake holders is put in place with active and extensive participation of the community at large, of the private sector, academia and civil society.

(ii) Strengthening financial environment

The Government shall strive to create a regular dedicated road safety fund for the state from various possible sources like part of fines & compounding fees from traffic offences etc.

(iii) Ensure safer and efficient road infrastructure

The Government will take conscious measures to introduce, review, improve and maintain standards pertaining to safety in the design of rural and urban roads and bring them in consonance with international best practices keeping in view the local traffic conditions of the State. The planning, design, construction and management of road development projects and improvement and maintenance of existing roads should invariably consist of road safety component. Continuous

identification, survey, budget allotment, rectification and monitoring of accident prone spots shall be done regularly in a time bound manner. Continuing application of Intelligent Transport System (ITS) and regular road safety audits to establish a safe and efficient transport system will be encouraged. Way side amenities/ facilities will be developed.

(iv) Improving quality of Drivers

The Government recognizes the fact that improving the man power and driving skills both qualitatively and quantitatively will go a long way in improving road safety. The Government will provide and strengthen efficient and effective driver training and testing infrastructure aiming at transparency and objectivity through automation and modernization. Countermeasures against defaulters will be ensured to promote road discipline among drivers.

(v) Safer Vehicles

The Government will take steps to promote safety standard in vehicles through statutory periodic and qualitative inspection as an essential check on road worthiness of all vehicles, phasing out old vehicles and ensuring compliance of provisions of Motor Vehicle laws as well as pollution and safety norms. The aim of the Government will be to bring transparency and objectivity through automation and modernization.

(vi) Safety for vulnerable road users

The design and construction of all road facilities (rural and urban) will take into account the needs of non motorized transport and the vulnerable and physically challenged in an appropriate manner. The Government will seek to disseminate 'best practices' in this regard to town planners, architects and highway and traffic engineers. Steps shall be taken to strengthen public transport system. Comprehensive town planning with specific parking policy keeping in mind all important aspects related to road safety shall be strived for.

(vii) Enforcement of Safety Laws

The Government will endeavor to establish permanent, exclusive, dedicated and well equipped teams involving officials of stakeholder departments to strengthen and improve the quality of enforcement for effective and uniform implementation of road safety laws. The Government will work in coordination with Government of India for establishment and strengthening of Highway patrolling on National, State and Express highways. System of toll free help lines and social networking connectivity for assistance of public will be ensured

(viii) Road Safety Education and Training

Road Safety knowledge and awareness will be created amongst the population through education, training and publicity campaigns. Road Safety education will also focus on school children and college going students, while road safety publicity campaigns will be used to propagate good road safety practices among the community. The Government will encourage training of all professionals associated with road design, road construction, road network management, road safety audit, traffic management, law enforcement etc. to attain adequate

knowledge of road safety issues through extensive capacity building programs. First aid training to help road accident victims and training of trainers in road safety will be made an integral part of capacity building.

(ix) Emergency Care and medical services for road accident victims

The Government will make sincere efforts to ensure that all persons involved in road accidents benefit from speedy, sufficient and effective trauma care and management. Both pre hospital care and hospital based injury management shall be provided to crash victims through a comprehensive Trauma Care Policy. The Government will strive to provide and improve sufficient emergency medical service response. The Government will also implement the clause of Right of Way for ambulances. Steps shall be taken for training of human resources and creating facilities.

(x) HRD and Research for Road Safety

The Government will encourage increased activity in programmes of road safety research by identifying priority areas, funding research in those areas adequately and establishing center of excellence in research and academic institution. The State Government will facilitate dissemination of the result of the research and identifying examples of good practices through publication, training, conferences, workshops and websites. The Government will also encourage research by establishing a research system to leverage latest technology in improving enforcement, engineering and emergency care.

(xi) Establish a road safety information database

The Government will establish state level road safety information system by having a state wide Road Accident Database Management System connecting all trauma centres, hospitals and ambulances and integrating the database of Medical and Health, Traffic Police, Transport Departments and Insurance companies into the information system. Scientific investigation, restructuring and analysis of road accident shall be ensured for providing actual and accurate database for further research and analysis.

3. Implementation Strategy

The Government will take appropriate measures to implement and oversee the issues related to Road Safety through an exclusive, adequate and dedicated road safety cell (lead agency) which may include representatives of stake holder departments like Transport, PWD, Medical & Health, Police, UDH, LSG, Law, Education along with other members. The lead agency will be provided with the authority and resources to evolve effective strategies for implementation of the State Road Safety Policy. The Government will also provide dedicated, adequate and regular fund to finance and implement road safety activities through the lead agency.

(Shailendra Agarwal)
Principal Secretary &
Transport Commissioner

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

प.10(614)परि./आर.एस./टी.एम.सी./2016/31953 जयपुर,दिनांक : 21.3.17

राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा नीति

सड़क सुरक्षा पर माननीय उच्चतम न्यायालय की समिति के निदेशों और राज्य स्तरीय परिवहन प्रबंध समिति में किये गये विनिश्चय के अनुपालन में राज्य मंत्रीमण्डल ने अपने आदेश संख्यांक डी. 146/केबिनेट/2016 दिनांक 07.12.2016 द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा नीति को अनुमोदित किया है। राज्य सड़क सुरक्षा नीति राज्य में सड़क सुरक्षा कियाकलापों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा सभी स्तरों पर बनायी गयी/की गयी नीतिगत पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। राज्य सड़क सुरक्षा नीति निम्नानुसार है :-

1. प्रस्तावना

सड़क दुर्घटनाओं की बढती हुई संख्या और परिणामतः होने वाली क्षतियाँ और जन हानियां गम्भीर चिंता का विषय है। सड़क दुर्घटनाएं मुख्यतः मानव द्वारा कारित दुर्घटनायें हैं जिनसे समाज को दुर्भाग्यपूर्ण अपूर्णीय सामाजिक और आर्थिक क्षति होती है। हाल ही के वर्षों में अस्वाभाविक कारणों से दुर्घटना से हुई मौतों में सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा हाथ रहा है। राजस्थान सरकार राज्य में सुरक्षा की स्थिति के बारे में गम्भीर रूप से चिंतित है और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के अनुसार बनायी गयी इस सड़क सुरक्षा नीति के माध्यम से वर्ष 2020 तक वर्ष 2015 के आंकड़े को आधार मानते हुए उसके 50 प्रतिशत तक राज्य में सड़क दुर्घटना से हुई मौतों को कम करने के लिए अपना दृढ़ निश्चय व्यक्त करती है। सभी हितबद्ध विभागों और अन्य एजेंसियों से समर्पित और मिलकर किये गये प्रयासों की आवश्यकता होगी।

2. नीति का विवरण

सड़क दुर्घटनाओं के कारण हुई मृत्यु-संख्या और रूग्णता को कम करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार निम्नलिखित उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैः-

(i) संस्थागत और विधिक परिवेश को मजबूत करना

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेगी कि सड़क सुरक्षा के लिए अपेक्षित संस्थागत और विधिक परिवेश को और मजबूत किया जाए और जन सामान्य, प्राइवेट सेक्टर, शिक्षित वर्ग और सिविल सोसाइटी की सक्रिय और व्यापक भाग लेने के साथ-साथ विभिन्न हितबद्ध व्यक्तियों के लिए प्रभावी समन्वय के लिए एक व्यवस्था रखी जाए।

(ii) वित्तीय परिवेश को मजबूत करना

सरकार विभिन्न सम्भव स्रोतों यथा यातायात अपराधों आदि से जुर्मानों और प्रशमन फीसों के हाल से राज्य के लिए एक नियमित समर्पित सड़क सुरक्षा निधि बनाने का प्रयास करेगी।

(iii) सुरक्षित और सक्षम सड़क संबंधित आधारभूत संरचना सुनिश्चित करना

सरकार ग्रामीण और नगरीय सड़कों की डिजाइन में सुरक्षा से संबंधित मानकों को लागू करने, पुर्नविलोकित करने, उनमें सुधार करने और उन्हें बनाये रखने के लिए और राज्य की स्थानीय यातायात दशाओं को दृष्टि में रखते हुए सर्वोतम (जागरूक) अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप उन्हें लाने के उपाय करेगी। सड़क विकास परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, निर्माण और प्रबन्ध तथा विद्यमान सड़कों के सुधार और रखरखाव में सदैव सड़क

सुरक्षा के घटक पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दुर्घटना संभावित स्थानों की निरंतर पहचान, सर्वेक्षण, बजट आवंटन, सुधार और मॉनिटरिंग नियमित रूप से एक समयबद्ध रीति से की जायेगी। एक सुरक्षित और दक्ष परिवहन प्रणाली (द.प.प्र.) स्थापित करने के लिए एक निरन्तर और दक्ष सड़क सुरक्षा संपरीक्षा को प्रोत्साहित किया जायेगा। पार्श्वस्थ सुख सुविधाएं/सुविधाएं विकसित की जायेंगी।

(iv) चालकों की गुणवता में सुधार

सरकार इस तथ्य को महसूस करती है कि मानव संख्या और चालन दक्षताओं दोनों में गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से सुधार करने से सड़क सुरक्षा में सुधार करने में काफी सहायता प्राप्त होगी। सरकार स्वचालितीकरण और आधुनिकीरण के माध्यम से पारदर्शिता और उद्देश्य परखता को परिलक्षित करते हुए दक्ष और प्रभावी चालन प्रशिक्षण और आधारभूत संरचना का परीक्षण उपलब्ध करायेगी और उसे मजबूत करेगी। चालकों में सड़क अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए व्यतिक्रमियों के विरूद्ध प्रत्युपाय सुनिश्चित किये जायेंगे।

(v) सुरक्षित यान

सरकार, पुराने यानों को चरणबद्ध रीति से बाहर करके और मोटरयान विधियों के उपबंधों के साथ–साथ प्रदूषण और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए सभी यानों के सड़क के योग्य होने पर एक आवश्यक रोक के रूप में कानूनी, कालिक और गुणात्मक निरीक्षण के माध्यम से यानों में सुरक्षा मानक को बढ़ावा देने के कदम उठायेगी। सरकार का लक्ष्य स्वचालितीकरण और आधुनिकीकरण के माध्यम से पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना होगा।

(vi) दुर्बल उपयोगकर्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा

सभी सड़क सुविधाओं (ग्रामीण और नगरीय) की डिजाइन और निर्माण करने में गैर मोटर चालित परिवहन और दुर्बल और विशेष योग्यजन की आवश्यकताओं को उचित रीति से ध्यान में रखा जायेगा। सरकार इस संबंध में नगर नियोजकों, वास्तुविदों और राजमार्ग तथा यातायात इंजीनियरों के लिए 'सर्वोतम पद्धतियां' प्रसारित करेगी। लोक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए कदम उठाये जायेंगे। सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट पार्किंग नीति के साथ व्यापक नगर नियोजन के लिए प्रयास किया जायेगा।

(vii) सुरक्षा विधियों का प्रवर्तन

सरकार, सड़क सुरक्षा विधियों के प्रभावी और एकरूप क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन की गुणवत्ता को मजबूत बनाने और उसमें सुधार करने के लिए हितबद्ध विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए स्थायी, अनन्य, समर्पित और अनुभवी टीम गठित करेगी। सरकार राष्ट्रीय, राज्य और एक्सप्रैस राजमार्गों पर राजमार्ग पट्रोलिंग की स्थापना और इसे मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार के साथ समन्वय में काम करेगी। जनता की सहायता के लिए टोल फ्री हैल्प लाईन और सोशल नेटवर्किंग संयोजन की प्रणाली सुनिश्चित की जायेगी।

(viii) सड़क सुरक्षा शिक्षा और प्रशिक्षण

शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रचार अभियानों के माध्यम से जनता के बीच सड़क सुरक्षा की जानकारी और जागरूकता पैदा की जायेगी। जहां सड़क सुरक्षा शिक्षा में विद्यालय और महाविद्यालय जाने वाले छात्रों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जायेगा, वहीं सड़क सुरक्षा प्रचार अभियानों का उपयोग समाज के मध्य सड़क सुरक्षा प्रवृत्तियों को प्रसारित करने के लिए किया जायेगा। सरकार, व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से सड़क सुरक्षा मुद्दों की

प्रणाली की जानकारी प्राप्त करने के लिए सड़क डिजाइन, सड़क सन्निर्माण, सड़क नेटवर्क प्रबंधन, सड़क सुरक्षा संपरीक्षा, यातायात प्रबंधन, विधि प्रवर्तन इत्यादि से सहयुक्त समस्त वृत्तिकों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करेगी।

(ix) सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए आपातकालीन सहायता और चिकित्सा सेवायें

सरकार यह सुनिश्चित करने के वास्तविक प्रयास करेगी कि सड़क दुर्घटनाग्रस्त समस्त व्यक्तियों को, पर्याप्त और प्रभावी ट्रोमा केयर और प्रबंध का त्वरित फायदा मिले। दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों को एक व्यापक ट्रोमा केयर नीति के माध्यम से अस्पताल पूर्व सहायता और अस्पताल आधारित क्षति प्रबंध दोनों, उपलब्ध करवाये जायेंगे। सरकार, पर्याप्त आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने और उनमें सुधार करने का प्रयास करेगी। सरकार एम्बुलेंसों के लिए मार्गाधिकार खण्ड को भी क्रियान्वित करेगी। मानव संसाधनों के प्रशिक्षण और सुविधाओं का सृजन करने के लिए कदम उठाये जायेंगे।

(x) सड़क सुरक्षा के लिए मानव संसाधन विकास और अनुसंधान

सरकार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करके, उन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए पर्याप्त रूप से वित्तपोषण करके और अनुसंधान तथा शैक्षणिक संस्थाओं में श्रेष्ठता का एक केन्द्र स्थापित करके सड़क सुरक्षा अनुसंधान के कार्यक्रमों में क्रियाकलापों की वृद्धि को प्रोत्साहित करेगी। राज्य सरकार प्रकाशन, प्रशिक्षण, सम्मेलनों, कर्मशालाओं और वेबसाइटों के माध्यम से अनुसंधान के परिणाम को और अच्छे कार्यों के उदाहरणों की पहचान करते हुए उनके प्रसार को सुकर बनायेगी । सरकार प्रवर्तन, अभियांत्रिकी और आपातकालीन सहायता में सुधार करने में नवीनतम प्रोद्योगिकी का फायदा उठाने के लिए एक अनुसंधान प्रणाली स्थापित करते हुए अनुसंधान को भी बढ़ावा देगी ।

(xi) सड़क सुरक्षा संसूचना डाटाबेस की स्थापना करना

सरकार सभी ट्रोमा सेंटरों, अस्पतालों और एम्बुलेंसों को संबद्ध करते हुए और चिकित्सा और स्वास्थ्य, यातायात पुलिस, परिवहन विभागों और बीमा कंपनियों के डाटाबेस को सूचना प्रणाली में एकीकृत करते हुए एक राज्यव्यापी सड़क दुर्घटना डाटाबेस प्रबन्ध प्रणाली रखते हुए राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा सूचना प्रणाली स्थापित करेगी। सड़क दुर्घटना का वैज्ञानिक अन्वेषण, पुनर्सरचना (Restructuring) और विश्लेषण आगे और अनुसंधान तथा विश्लेषण के लिए वास्तविक और ठीक–ठीक डाटाबेस उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित किया जायेगा।

3. क्रियान्वयन युक्ति

सरकार एक विशिष्ट, पर्याप्त और समर्पित सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ (मुख्य एजेंसी) जिसमें हितबद्ध विभागों जैसे परिवहन, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य, पुलिस, नगरीय विकास एवं आवासन, स्थानीय स्वशासन, विधि, शिक्षा के प्रतिनिधियों सहित अन्य सदस्य सम्मिलित किये जा सकेंगे, के माध्यम से सड़क सुरक्षा से संबंधित मामलों के क्रियान्वयन और प्रबन्धन के लिए समुचित उपाय करेगी। मुख्य एजेंसी को राज्य सड़क सुरक्षा नीति के कियान्वयन के लिए प्रभावी युक्तियां विकसित करने के लिए प्राधिकार और संसाधन उपलब्ध करवाये जायेंगे। सरकार सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों के कियान्वयन और वित्त पोषण के लिए मुख्य एजेंसी के माध्यम से समर्पित, पर्याप्त और नियमित निधि भी उपलब्ध करायेगी।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त